(7)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
74/2016/प्रा.पत्र/2016	09.11.2016	20.09.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..... प्रार्थी

बनाम

1– श्री राजेश शर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ब्रहा अखाडा ढाल मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स शकंर ज्यूस सेन्टर माणक चौक टोडारायसिंह जिला टोंक
2– मैसर्स शकंर ज्यूस सेन्टर माणक चौक टोडारायसिंह जिला टोंक
..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 20.09.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.05.2016 को समय 1.45 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शकंर ज्यूस सेन्टर माणक चौक टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री राजेश शर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ब्रहा अखाडा ढाल मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स शकंर ज्यूस सेन्टर माणक चौक टोडारायसिंह जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोंबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर दुकान मे **पपीता जूस** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री राजेश शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजेश शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे रखे **पपीता जूस** स्टील की टंकी मे फ्रीज के अन्दर लगभग 5 लीटर मे से 4 लीटर ज्यूस वेईग मशीन से तुलवाकर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री राजेश शर्मा को रू0 250/–अक्षरे दौ सौ पचास रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **पपीता जूस** 4 लीटर के 4 भाग तैयार कर ज्यो का त्यो कर अलग–अलग चार साफ व सुखी प्लास्टिक की बोतलो मे भरकर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेवलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1337 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1337 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. राजेश शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./16/2387 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/276/एक्ट/2016/326 दिनांक 26.05.2016 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब पुणे अंतिम जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. डी. ओ. 173/555/2016 अनुसार राजेश शर्मा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **पपीता जूस** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा के अनुसार **असुरक्षित (Unsafe) / अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **पपीता जूस** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **पपीता जूस** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पपीता जूस** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)अप्रार्थी श्री राजेश शर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ब्रहा अखाडा ढाल मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स शकंर ज्यूस सेन्टर माणक चौक टोडारायसिंह जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.09.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner